2024|209

फर्द अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट — **बनाम** — **अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट**

श्री रोहित चौहान
निवासी वार्ड नं. 02, तरतोली
तहसील आबूरोड
जिला सिरोही।

सरकार जरिये सहायक लोक सूचना अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत

किस्म मुकदमा– **अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005** मुकदमा नं. 35 वर्ष 2024

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
25.07.2024	अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई। अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत को दिनांक 09.06.2024 को एक ऑनलाईन प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि गांव तरतोली आबूरोड मे नारायण गृह उद्योग के पीछे जो पडत भूमि है, उस पर अतिक्रमित भूमि का क्षेत्रफल कितना है एवं अतिक्रमण किस प्रकार का है एवं अतिक्रमण के बारे में विभाग को पता है अथवा नहीं, इस सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध करावें तथा उक्त अतिक्रमण को हटाने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई, इससे सम्बन्धित सूचना सहायक लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई हैं। मैने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10/– जमा करा दिए है। अपीलांट द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत को दिनांक 09.06.2024 को एक ऑनलाईन प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि गांव तरतोली आबूरोड मे नारायण गृह उद्योग के पीछे जो पडत भूमि है, उस पर अतिक्रमित भूमि का क्षेत्रफल कितना है एवं अतिक्रमण किस प्रकार का है एवं अतिक्रमण के बारे में विभाग को पता है अथवा नहीं, इस सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध करावें तथा उक्त अतिक्रमण को हटाने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई, इससे सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। पत्रावली के अवलोकन से यह पाया जाता है कि अपीलांट द्वारा मांगी गई उपरोक्त सूचना सहायक लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत द्वारा उपलब्ध नहीं करवाई गई है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर सहायक लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत को आदेशित किया जाता है कि अपीलांट द्वारा चाही गई सूचना तत्काल नियमानुसार उपलब्ध करावें। यदि सूचना देना नियमों में संभव नहीं हो तो स्पेसीफिक आदेश पारित कर अपीलांट को सूचित करें। निर्णय सर–ए–इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। (शुभम चौधरी) **जिला कलक्टर, सिरोही**	

Scanned with CamScanner